संख्या: 17/2016/419/61-2016-61(03)/2016

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी,
अम्बेडकर नगर ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक: 26 मई, 2016

विषय: जिला निर्वाचन कार्यालय, अम्बेडकर नगर के कार्यालय/गोदाम भवन को किराये पर बनाये रखे जाने के संबंध में स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-562/सी0ई0ओ0-3, दिनांक 12-05-2016 के संदर्भ में तथा शासन के पत्र संख्या: 1005/61-2010, दिनांक 24-01-2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला निर्वाचन कार्यालय, अम्बेडकर नगर के कार्यालय/गोदाम भवन को निम्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय दिनांक 01-03-2011 से दिनांक 30-9-2014 तक की अवधि के लिए किराये पर बनाये रखने एवं किराया भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. भवन स्वामी का नाम	-	श्री श्रीनारायण शुक्ला एवं श्री नरसिंह नारायण शुक्ला, पुत्र स्व0 श्री आद्या प्रसाद शुक्ला ।
2. निवासी	-	महानगर कालोनी, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर ।
3. भवन/गोदाम का स्थल	-	मोहल्ला महानगर कालोनी, कलेक्ट्रेट के सामने अम्बेडकर नगर ।
3. स्थान क्षमता	-	1167.84 वर्गफिट।
4. अवधि	-	01 मार्च, 2011 से 30 सितम्बर, 2014 तक।
5- किराया	-	रूपये 3,504/- प्रतिमाह (रूपये तीन हजार पांच सौ चार मात्र)

----/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त से संबंधित व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-41 के लेखाशीर्षक "2015-निर्वाचन-आयोजनेत्तर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व" के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: ए-2-970/दस-96-24(7)-95, दिनांक 28-06-1996 में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या: 17/2016/419(1)/61-2016-61(03)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम) / आडिट (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12.
(3) कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।